भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 7

01.12.2025 को उत्तर के लिए

हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थिति

7. श्री जी. लक्ष्मीनारायण :
श्री राहुल कस्वां :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय हरित भारत मिशन के तहत प्रस्तुत वार्षिक संचालन योजनाओं (एपीओ) का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है, जिसमें प्रस्तावित क्षेत्र, वित्तीय परिव्यय और अनुमोदन की स्थिति और आंध्र प्रदेश के लिए पृथक रूप से विस्तृत जानकारी भी शामिल है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश के लिए वास्तविक स्थान और जिले-वार डेटा सहित राज्यवार कुल स्वीकृत क्षेत्र और वनीकरण और पारिस्थितिकी तंत्र बहाली कार्यकलापों के तहत कवर किया गया वास्तविक क्षेत्र कितना है;

(ग) क्या सरकार ने 2025-26 में राष्ट्रीय हरित भारत मिशन के तहत 4.28 प्रतिशत वन कवर वाले राजस्थान को धनराशि आवंटित की है और हाल के वर्षों में वनीकरण और बहाली कार्यकलापों पर उनके प्रभाव में बजट में गिरावट के क्या कारण हैं;

(घ) मिशन के तहत आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है, जिसमें आंध्र प्रदेश और राजस्थान के लिए क्षेत्र-वार अलग-अलग ब्यौरे के साथ-साथ केंद्रीय हिस्सेदारी, राज्य हिस्सेदारी और बाहरी रूप से सहायता प्राप्त घटक शामिल हैं;

(ङ) क्या अनुमोदन या निधि संवितरण में कोई देरी या भिन्नताएं दर्ज की गई हैं, जो विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में परियोजना निष्पादन को प्रभावित करती हैं; और

(च) सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तपोषण स्तर बहाल करने और सार्थक पर्यावरणीय और आजीविका लाभ सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से वन-निर्भर समुदायों के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के आठ मिशनों में से एक है और इसका उद्देश्य चयनित परिदृश्यों में और रोपण एवं पारिस्थितिकी तंत्र बहाली के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को कम करते हुए अनुकूलन में योगदान करते हुए वन और वृक्ष आवरण की सुरक्षा, पुनर्स्थापन और संवर्धन करना है। यह मिशन 2015-16 से लागू है और वर्तमान में सत्रह राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र, आंध्र प्रदेश सहित, में संचालित है।

पिछले पांच वर्षों में अनुमोदित वार्षिक संचालन योजनाओं (एपीओ) का राज्यवार विवरण, जिसमें प्रस्तावित क्षेत्र, वित्तीय परिव्यय और अनुमोदन की स्थिति शामिल है, **अनुलग्नक-1** में दिया गया है। आवंटित/जारी तथा उपयोग की गई निधि और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन के तहत लिए गए कुल क्षेत्र का, आंध्र प्रदेश सहित, राज्य वार विवरण **अनुलग्नक -II** में दिया गया है।

आंध्र प्रदेश में, जीआईएम संबंधी कार्यकलाप पूर्वी घाट पारितंत्र में लागू किए जा रहे हैं, मुख्य रूप से पादेरू वन प्रभाग और 23 गांवों नामतः बोड्डापुट्टु, बोड्डुममिडी, बोरथारा, डी. सोलामुला, ई.कोथुरु, ई.सोलामुला, गणेरुपुट्टु, के.कोडापल्ली, लडापुट्टु, नीतमामिडी, साकिरेवु, संथागंडू, वकापल्ली, वांजंगी, डी.गोंडुरु, ईराडापल्ली, कुंचापल्ली, बोक्केल्लु, काराकापुट्टु, मड्डुलाबंधा, नेरेदुवालसा, चिंथागोंधी, और डोड्डिपल्ली में किए जा रहे हैं ।

जीआईएम के तहत निधियाँ वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार जारी की जाती हैं, जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और एकल नोडल एजेंसी के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के अध्यधीन होता है। जहां तक राजस्थान राज्य का संबंध है, जीआईएम के अंतर्गत कोई भावी योजना प्रस्तुत नहीं की गई है।

(च) पर्याप्त धनराशि स्तर सुनिश्चित करने और पर्यावरण तथा आजीविका से जुड़े लाभों को बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से वन-निर्भर समुदायों के लिए, मंत्रालय असुरक्षित और अवक्रमित परिदृश्यों को प्राथमिकता दे रहा है और चल रहे अन्य कार्यक्रमों और योजनाओं के साथ समन्वय को मजबूत कर रहा है। मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, वन महोत्सव, वन्यजीव सप्ताह, आदि जैसे अवसरों पर सामूहिक वृक्षारोपण अभियानों को भी बढ़ावा देता है और अभियान के माध्यम से जागरूकता को बढ़ावा देता है। 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान, जो 5 जून 2024 को शुरू किया गया था , नागरिकों को अपनी माता और पृथ्वी माता के सम्मान में एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करता है। वनों का संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन विधिक तंत्र जैसे भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980, और संगत राज्य अधिनियमों और नियमों के तहत मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इन उपबंधों के तहत वन और वृक्ष संसाधनों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करते हैं।

*****

अनुलग्नक-I

"हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थिति" के बारे में श्री जी. लक्ष्मीनारायण और श्री राहुल कस्वां , द्वारा लोक सभा में दिनांक 01.12.2025 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 7 के भाग (क)से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

जीआईएम के अंतर्गत पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनुमोदित वार्षिक संचालन योजनाओं(एपीओ) का राज्य वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

राज्य	**अग्रिम** (हेक्टेयर मे)	**सृजन** (हेक्टेयर में)	**रखरखाव** (हेक्टेयर में)	**अनुमोदित एपीओ की कुल लागत (करोड़ रुपए में)**
आंध्र प्रदेश	4141	5550	4417	44.89
अरुणाचल प्रदेश	-	21554	9997	114.08
छत्तीसगढ़	6628	12311	-	53.74
हरियाणा	5783	15812	3018	217.43
हिमाचल प्रदेश	8257	2878	1734	53.64
जम्मू और कश्मीर	7571	5423	3652	84.61
कर्नाटक	875	1410	6220	29.47
केरल	-	9942	14967	163.38
मध्य प्रदेश	7259	23149	79557	182.04
महाराष्ट्र	-	2865	9458	17.80
मणिपुर	3055	6039	13979	37.03
मिजोरम	1000	8177	37216	112.13
ओडिशा	4108	11388	42579	133.45
पंजाब	4750	4810	9675	33.54
सिक्किम	5472	5805	12261	52.42
उत्तराखंड	9414	12359	34392	209.84
पश्चिम बंगाल	37332	1659	6207	130.16
उत्तर प्रदेश	-	21004	-	57.37
कुल	**105645**	**172134**	**289329**	**1727.02**

अनुलग्नक-II

"हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थिति" के बारे में श्री जी. लक्ष्मीनारायण और श्री राहुल कस्वां , द्वारा लोक सभा में दिनांक 01.12.2025 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 7 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

आवंटित/जारी की गई और उपयोग की गई निधियों और पारिस्थितिकी पुनःस्थापन के तहत लिए गए कुल क्षेत्र का, आंध्र प्रदेश समेत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य	आवंटित/जारी की गई निधियाँ (करोड़ रुपए में)	उपयोग की गईं निधियाँ (करोड़ रुपए में)	पारिस्थितिकी पुनःस्थापन के तहत लिए गए कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	आंध्र प्रदेश	6.19	4.17	1433
2	अरुणाचल प्रदेश	34.71	29.96	5314
3	छत्तीसगढ़	75.58	72.84	19128
4	हरियाणा	73.38	44.51	1301
5	हिमाचल प्रदेश	17.09	9.01	1299
6	जम्मू और कश्मीर	36.72	33.50	1778
7	कर्नाटक	24.61	23.44	2722
8	केरल	41.88	25.47	12297
9	मध्य प्रदेश	123.26	99.11	32831
10	महाराष्ट्र	10.30	9.43	5223
11	मणिपुर	65.72	62.66	16488
12	मिजोरम	169.11	160.21	19643
13	ओडिशा	88.37	84.28	20711
14	पंजाब	26.95	24.17	6568
15	सिक्किम	49.34	42.73	6567
16	उत्तराखंड	167.59	161.88	14836
17	पश्चिम बंगाल	10.95	10.18	2606
18	उत्तर प्रदेश*	5.43	4.22	-
कुल		**1027.19**	**901.75**	**170745**

***जीआईएम कार्यकलापों** 2024-25 में शुरू की गईं और राज्य ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में सृजन/पौधारोपण कार्यकलाप शुरू करने मात्र के लिए अग्रिम रूप से कार्य किया है।*